भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 357
(21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राशि का संशोधन

357. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अत्यधिक मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत में वृद्धि के बावजूद, वर्ष 2012 के बाद से अब तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत केंद्र द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि में कोई संशोधन नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने यह निर्धारित करने के लिए कोई आकलन किया है कि वर्तमान केंद्रीय सहायता लाभार्थियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भुगतान की जाने वाली राशि में वृद्धि न करने के क्या कारण हैं;
(ग) राज्यों द्वारा किए गए अंशदान और राज्यों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि में किए गए वर्ष-वार संशोधन, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का एनएसएपी के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि को संशोधित करने और बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो कार्यान्वयन का ब्यौरा और समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) देशभर में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-यापन करने वाले समाज के कमजोर वर्गों, जैसे वृद्धजन, विधवाओं तथा

दिव्यांगजनों, के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। एनएसएपी के अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं, जिनमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना सम्मिलित हैं, के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता की दर में अंतिम संशोधन वर्ष 2012 में किया गया था।

एनएसएपी के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक बीपीएल लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित सामाजिक पेंशन योजनाओं के माध्यम से लगभग 5.9 करोड़ अतिरिक्त पेंशनभोगियों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस प्रकार, केंद्र सरकार की पेंशन योजनाओं तथा/अथवा राज्य-विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इनमें से अनेक राज्य-विशिष्ट योजनाओं में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक समावेशन तथा अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। वर्तमान में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों को ₹50 से ₹5,700 प्रतिमाह तक की टॉप-अप राशि प्रदान कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनएसएपी के पेंशनभोगियों को औसतन लगभग ₹1,100 प्रतिमाह पेंशन प्राप्त हो रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जा रही टॉप-अप राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

मंत्रालय तथा नीति आयोग द्वारा एनएसएपी योजनाओं का प्रभाव आकलन करने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रभाव आकलन एवं मूल्यांकन अध्ययन कराए गए हैं। इन अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि योजनाओं का जमीनी स्तर पर संतोषजनक ढंग से कार्यान्वयन हो रहा है तथा अधिकांश लाभार्थियों ने लाभार्थी चयन, स्वीकृति तथा पेंशन वितरण की प्रक्रियाओं के प्रति समग्र संतोष व्यक्त किया है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि पेंशन सहायता से लाभार्थियों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिली है, जिससे इन आवश्यकताओं के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर उनकी निर्भरता में कमी आई है। साथ ही, अध्ययनों में सहायता की पर्याप्तता में वृद्धि, पेंशन का समयबद्ध एवं नियमित भुगतान सुनिश्चित करना तथा लाभार्थी सत्यापन एवं निगरानी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने जैसे उपायों के माध्यम से कार्यक्रम को और सशक्त करने की अनुशंसा भी की गई है।

वर्तमान में, एनएसएपी के अंतर्गत सहायता दर में संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राशि के संशोधन के संबंध में लोकसभा में दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 357 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना		राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना
		60-79 वर्ष	80 वर्ष से अधिक	40-79 वर्ष	18-79 वर्ष
1	आंध्र प्रदेश	3800	3500	3700	5700
2	अरुणाचल प्रदेश	1300	1500	1700	1700
3	असम	50	50	950	0
4	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2300	2500	2200	2200
5	बिहार	900	600	800	800
6	चंडीगढ़	1000	1000	1000	1000
7	छत्तीसगढ	300	150	200	200
8	दिल्ली	1800-2300	2000	2200	2200
9	दादरा एवं नगर हवेली	800	500	2500	700
	दमन और दीव	800	500	950	700
10	गोवा	-	-	-	-
11	गुजरात	800	750	700	700
12	हरियाणा	2800	2500	2700	2500
13	हिमाचल प्रदेश	1500	1200	1200	1400
14	जम्मू एवं कश्मीर	800	500	700	700
15	झारखंड	800	500	700	700
16	कर्नाटक	400-1000	700	500	1100
17	केरल	1400	1100	1300	1300
18	लक्षद्वीप	800	500	300	700
19	मध्य प्रदेश	400	100	400	300
20	महाराष्ट्र	800	500	700	700
21	मणिपुर	0	0	200	200

22	मेघालय	550	300	450	450
23	मिजोरम	1000	1000	1000	1000
24	नागालैंड	0	0	0	0
25	ओडिशा	300	200	300	400
26	पंजाब	1500	1500	1500	1500
27	पुदुचेरी	2300	3000	1700-2200	3200
28	राजस्थान	800	500	450-1200	450-950
29	सिक्किम	1300 - 1800	2000	1700	1700
30	तमिलनाडु	1000	700	900	1200
31	तेलंगाना	1816	1516	1716	3716
32	त्रिपुरा	1800	1500	1700	1700
33	उत्तराखंड	1300	1000	1200	1200
34	उत्तर प्रदेश	800	500	700	700
35	पश्चिम बंगाल	800	500	700	700
36	लद्दाख	800	500	700	700